न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)भोगनीपुर/न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात

मुकदमा सं०–1223/2022

सरकार बनाम राजेन्द्र आदि।

अ०सं०–70/2022

धारा– 457,380,411 भा०द०सं०

थाना राजपुर, कानपुर देहात

<u>आरोप</u>

मैं राशि तोमर सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात आप अभियुक्तगण राजेन्द्र , सज्जन सिंह, नन्दकिशोर उर्फ नन्दू एवं ब्रजेश कुमार को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ–

यह कि दिनांक 30.06.2022/01.07.2022 को रात में घटना स्थल प्रार्थी का घर ग्राम, कस्बा राजपुर , थाना राजपुर जिला कानपुर देहात मे आप अभियुक्तगण ने मुकदमा वादी के घर में घुसकर कंगन, मंगलसूत्र, अंगूठी, कान के बाले, टोप्स व पायल, हार व 30,000/–रु० तथा वादी मुकदमा के पड़ोस के मकान से मंगलसूत्र, तोड़िया, पायल, 10 चाँदी के सिक्के, कान के बाले, दो अंगूठी तथा लगभग 10,000/–रु० चुरा लिया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 380 भा० द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक,समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा के चोरी करने के आशय से रात्रि में गृह अतिचार किया। इस प्रकार आप अभियुक्त के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 457 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त, दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना , जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण के पास से चोरी हुए जेवर बरामद हुए। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 411 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(राशि तोमर)

दिनांक 30/09/2022

सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट

भोगनीपुर,कानपुर देहात।

J.O code U.P 2540

उक्त आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

(राशि तोमर)

दिनांक 30/09/2022

सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट

भोगनीपुर,कानपुर देहात।

J.O code U.P 2540